

# कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.)

(dpmu.jas@gmail.com, cmohealth@gmail.com) Ph No 07763223375, Fax No-0776-322054

क्रमांक/1470/ एन. एच.एम./संविदा भर्ती/2025-26

जशपुर, दिनांक 02-03-2026

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) के पत्र Letter No./NHM/PROJ-4107/6/2025-SECTION (NHM) / 2255 Date: 15.09.2025 के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / जिला स्वास्थ्य समिति, जिला जशपुर के स्वीकृत आर.ओ.पी. 2025-26 के अन्तर्गत रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिस हेतु तालिका में दर्शित रिक्त पदों की जिला आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 25/03/2026 समय मध्यरात्रि 11:59 PM बजे तक जिले के वेबसाईट <https://jashpur.nic.in> के मेन्यू "नोटिस" के सब मेन्यू "भर्ती" विकल्प में उपलब्ध लिंक से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन नहीं किये जा सकेंगे। सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

SN	Post Name	(Total Post) Vacant	Vacant Post Category Wise					Educational Qualification	Salary
			ST	SC	OBC	UR	Divyang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laboratory Technician (BPHU)	6	3	0	1	1	10L,HH	Bachelor in medical Laboratory Technology (BMLT)/Diploma in Medical Laboratory technology (DMLT)/Paramedical Course in Patholog With Live Registration in CG paramedical Council	14000/-
2	Physiotherapist (Rehabilitation Worker)	2	0	1	0	1	0	Bachelors Degree in Physiotherapist (BPT) with live registration in CG council	16500/-
3	Dental Surgeon	1	0	0	1	0	0	MDS/BDS With Registration in CG Medical Council is Compulsory	27500/-
4	MO-AYUSH RBSK Female	2	1	0	0	1	0	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Recognised (BAMS/BHMS/BUMS)Ayurvedic, Homarpathy, Unani Registration Board	25000/-
5	ANM (RBSK)	1	0	0	1	0	0	12th Passed, ANM Passed & INC Affiliated training center Live Registration in CG Nursing Council	12000/-
6	Staff Nurse (NRC)	12	6 (F-01, PVTG-01)	1	1	3	10L	B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing/General Nursing & midwifery (GNM) With Live Registration in CG Nursing Council registration	16000/-
7	Feeding Demonstrator (NRC)	3	2	0	1	0	0	B.Sc. Home Science	12000/-
8	Cook Cum Care Taker (NRC)	3	2	0	1	0	0	8 <sup>th</sup> Passed	8800/-
9	Attendant (NRC)	4	2	0	1	1	0	8 <sup>th</sup> Passed	8800/-
10	Class IV-UHWC	1	1	0	0	0	0	10 <sup>th</sup> Passed	10000/-
11	Staff Nurse (12 Beded HDU/ICU)	12	7 (F-02, PVTG 01)	1	2	2	0	B.Sc. Nursing/Post Basic D.Sc. Nursing/General Nursing & midwifery (GNM) With Live Registration in CG Nursing Council registration	16000/-
12	Staff Nurse (Pediatric Ward 30 Beded)	15	8 (F-02, PVTG 01)	1	2	3	1 OL	B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing/General Nursing & midwifery (GNM) With Live Registration in CG Nursing Council registration	16000/-
13	Radiographer	2	1	0	1	0	0	(1) 10+2 पद्धति ने विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिये, (2) क्ष-किरण तकनीशियन/ रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये और (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से रेडियोग्राफर/क्ष-किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिये।	15000/-
14	Counsellor	1	1	0	0	0	0	PG Degree/Diploma in Psychology/Counselling/Health Education/ Mass Communication/Social Science	12000/-
15	Secretarial Assistant (SNCU)	1	0	0	0	1	0	Graduate with atleast 1 year Diploma in Computer application	13650/-
16	Laboratory Technician (NHM)	1	1	0	0	0	0	Bachelor in medical Laboratory Technology (BMLT)/Diploma in Medical Laboratory technology (DMLT)/Paramedical Course in Pathology With Live Registration in cg paramedical Council	14000/-
17	Junior Secretarial Assistant (PHC)	2	1	0	0	1	0	12 <sup>th</sup> Passed with atleast 1 year Diploma in Computer application	12000/-
18	MPW (Male)-UHWC	1	0	0	0	1	0	Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) examination with biology Subject One year Diploma in Multipurpose worker training, Or equivalent training from training centre recognized by the State Government with registered in Chhattisgarh Paramedical Council	14000/-
19	Secretarial Assistant (NTEP)	1	0	0	0	1	0	Graduate with at least 1 year Diploma in Computer application	13,650/-
20	MO-AYUSH RBSK Male	1	0	0	0	1	0	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Recognised. (BAMS/BIMS/BUMS)Ayurvedic, Homeopathy Unani Registration Board	25000/-
21	Block Data Manager	1	0	0	1	0	0	1. Graduate (55%) & PGICA OR 2. BCA (55%)	21000/-
22	Support Staff (Housekeeping)	3	1	1	0	1	0	8 <sup>th</sup> Passed	10000/-

**नोट:-**

- Divyang-OL (One Leg) एक पैर को दर्शाने के लिए अंकित किया गया है।
- Divyang - HH (Hearing Handicapped) श्रवण बाधित को दर्शाने के लिए अंकित किया गया है।
- F-Female रिक्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।
- PVTG-रिक्त पद विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

**-: भर्ती संबंधित दिशा निर्देश :-**

**1. ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में:-**

- 1.1. आवेदक विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> पर उपलब्ध लिंक से केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 25/3/2026 को समय मध्यरात्रि समय 11:59 PM बजे तक जिले के वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> के मेन्यू "नोटिस" के सब मेन्यू "भर्ती" विकल्प में उपलब्ध लिंक से ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। आवेदक भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी का अवलोकन भी यहाँ पर समय-समय पर कर सकेंगे।
- 1.2. किसी भी स्थिति में कार्यालय में सीधे डाक, ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 1.3. आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त करते हुए उन्हें अपात्र किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- 1.4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अनुभव संबंधित समस्त निर्देशों का अवलोकन कर लेंगे एवं निर्धारित स्थान पर अनुभव, नियुक्ति आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्पष्ट पीडीएफ प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अस्पष्ट / अपूर्ण अथवा अमान्य अनुभव संबंधित दस्तावेज होने पर अनुभव की गणना नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- 1.5. आवेदक के द्वारा मोबाइल / टैबलेट के माध्यम से आवेदन किये जाने पर एंटी किये गये डाटा में त्रुटि होने की प्रबल संभावना होती है। अतः अभ्यर्थी कम्प्यूटर सिस्टम / लैपटॉप अथवा किसी भी ऑनलाइन / डिजिटल सेवा केन्द्र के माध्यम से ही आवेदन करें। त्रुटिपूर्ण भरे आवेदन अमान्य किये जा सकते हैं एवं निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 1.6. यदि आवेदक पूर्व में अपना पंजीकरण "रिक्तमंत पोर्टल" में कर चुके हैं। तब उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल में लॉगिन कर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
- 1.7. चाही गयी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्ष / सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अंकसूची की मूल प्रति को एक पी.डी.एफ. फाईल में संलग्न करके अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची व अन्य आवश्यक दस्तावेजों के मूल प्रति (Original scanned PDF Copy) ही अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- 1.8. यदि किसी आवेदक के प्रमाण पत्र में अंकों का विवरण CGPA के आधार पर हैं, तब आवेदक इसकी गणना प्रतिशत में कर, प्रतिशत को पूर्णांक एवं प्राप्तांक में बदलकर इसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को उसके किसी भी शैक्षणिक अंकसूची में CGPA 8.0 प्राप्त हुए हैं और यदि उसकी प्रतिशत में गणना करने के बाद 76% अंक प्राप्त हो रहा है, तब आवेदक पूर्णांक 100 एवं प्राप्तांक 76 प्रविष्टि करें ताकि प्रतिशत की गणना करने पर 76% प्रदर्शित हो सके।
- 1.9. दस्तावेजों की मूल प्रति अपलोड किये जाने पर ही आवेदन मान्य होगा। दस्तावेज की छायाप्रति का प्रयोग कर PDF बनाकर अपलोड करने पर मान्य नहीं किया जावेगा, जिसकी जवाबदेही आवेदक की होगी।
- 1.10. आवेदक के एंटी किए गए जानकारी अनुसार दस्तावेज अपलोड नहीं पाये जाने पर ऑनलाइन आवेदन की अपूर्ण/अस्पष्ट माना जाएगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपना आवेदन ऑनलाइन करेंगे।
- 1.11. अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान में वर्तमान का पासपोर्ट साईज कलर फोटो, हस्ताक्षर व अन्य अनिवार्य दस्तावेज की मूल प्रति अपलोड करना होगा।
- 1.12. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक ऑनलाइन सुधार कर सकेंगे, परन्तु Profile Data (मूल जानकारी) में सुधार संभव नहीं होगा। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व ही अपनी समस्त जानकारी अद्यतन कर लेंगे, जिससे त्रुटि होने की संभावना नहीं रहे। आवेदक को सफलतापूर्वक भरे गये आवेदन का प्रिंटआउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखना होगा।
- 1.13. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25/3/2026 तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के अंतिम तिथि 25/3/2026 के पश्चात् की तिथि में जारी कोई भी प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 1.14. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में आवेदकों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना

रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें अन्यथा आवेदन अमान्य किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

- 1.15. विज्ञापन जारी करने के उपरान्त निर्धारित तिथि 25/3/2026 समय मध्यरात्रि समय 11:59 PM बजे तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, जिसके पश्चात् किसी भी प्रकार का निवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
  - 1.16. आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसे आवेदक के प्रोफाइल पेज से आवेदन किया जा सकता है। प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा पृथक-पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
  - 1.17. अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> के मेन्यू "नोटिस" के सब मेन्यू "भर्ती" का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी।
- 2. आयु सीमा :-**
- 21 01 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिये। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जावेगी।
- 3. आवेदन शुल्क:**
- 3.1. आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-**

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह <= 25000	मानदेय प्रतिमाह => 25000
विकलांग/अ.जा./ अ.ज.जा./महिला	रु. 100=00	रु.200=00
अ.पि.व	रु. 200-00	रु. 300-00
अनारक्षित	रु. 300=00	रु, 400=00

- 3.2. आवेदक आवेदन शुल्क भुगतान के पूर्व वर्ग एवं मानदेय की सीमा का अवलोकन अवश्य कर लेंगे। गलत राशि के भुगतान किए जाने पर जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
  - 3.3. निर्धारित आवेदन शुल्क प्राप्त नहीं होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
  - 3.4. आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा एवं प्रत्येक आवेदित पद अनुरूप पृथक-पृथक आवेदन शुल्क देना होगा।
- 4. भर्ती प्रक्रिया :-**
- 4.1. आवेदक विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> के मेन्यू "नोटिस" के सब मेन्यू "भर्ती" विकल्प में उपलब्ध लिंक से ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 25/3/2026 को मध्यरात्रि 11:59 बजे तक जिले के वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> के मेन्यू "नोटिस" के सब मेन्यू "भर्ती" विकल्प में दिए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही अपना आवेदन करेंगे।
  - 4.2. प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रारंभिक दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जावेगी, जिस हेतु प्रारंभिक दावा आपत्ति जारी दिनांक से 03 दिवस का समय प्रदाय किया जावेगा। प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत अंतिम दावा आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जावेगी जो निम्नानुसार होगी।

क्र	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	अंतिम दावा आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की गणना
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 12 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 06 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 04 गुना

- 4.3. अंतिम दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को 07 दिवस का समय प्रदाय किया जायेगा। अंतिम दावा आपत्ति निराकरण उपरांत कौशल दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जावेगी जो निम्नानुसार होगी।

क्र	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	कौशल / दक्षता/लिखित परीक्षा, साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की गणना
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

- 4.4. दावा आपत्ति निराकरण, कौशल / दक्षता / लिखित परीक्षा, साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य नियुक्ति से संबंधित सूचना जिले के वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> में प्रसारित की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी समय समय पर नियमित रूप से जिले के वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> का अवलोकन करते रहें।
- 4.5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक / एनएचएच/एचआर/2023/NS-421 /353 नवा रायपुर दिनांक 09.05.2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पदों में प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

- 4.6. आवेदको को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की पी.डी.एफ. कॉपी अपलोड करना आवश्यक होगा।
- 4.7. जाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 4.8. दस्तावेज सत्यापन तथा कौशल / दक्षता/लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-
  1. दसवीं की अंकसूची
  2. बारहवी की अंकसूची
  3. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
  4. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
  5. अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश
  6. संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
  7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र
  8. विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग (PVTG) अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि संबंधित है तो)।
  9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
  10. वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/ वोटर आई.डी. इत्यादि)
  11. यदि दिव्यांग है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID) कार्ड
  12. अन्य संबंधित दस्तावेज।
5. लिखित परीक्षा/कौशल/दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य/चयन सूची:-

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत का वेटेज	अनुभव / कोविड 19 बोनस अंक अधिकतम 10 अंक/15 अंक/20 अंक (कोई एक अधिकतम अंक वाले अनुभव का अंक जोड़ा जायेगा)	चयन आधार कौशल / दक्षता परीक्षा / लिखित परीक्षा, साक्षात्कार (20 अंक)
1	Laboratory Technician (BPHU)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	कौशल/दक्षतापरीक्षा/ लिखित परीक्षा, साक्षात्कार
2	Physiotherapist (Rehabilitation Worker)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
3	Dental Surgeon	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
4	MO-AYUSH RBSK Female	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
5	Staff Nurse (NRC)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
6	Feeding Demonstrator (NRC)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
7	Cook Cum Care Taker (NRC)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
8	Attendant (NRC)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
9	Claess IV-UHWC	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
10	Staff Nurse (12 Beded HDU/ICU)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
11	Staff Nurse (Pediatric Ward 30 Beded)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
12	Radiographer	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
13	Counsellor	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
14	ANM (RBSK)	60 प्रतिशत	10/15/20 अंक	
15	Laboratory Technician (NHM)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
16	MPW (Male) -UHWC	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
17	MO-AYUSH RBSK Female	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
18	Secretarial Assistant (SNCU)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	कौशल/ दक्षता परीक्षा
19	Junior Secretarial Assistant (PHC)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	
20	Secretarial Assistant (NTEP)	65 प्रतिशत	10/15 अंक	

6. अनुभव एवं अन्य दिशा निर्देश :-
  - 6.1. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक अधिकतम 10 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 15 अंक 05 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे। किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेज के अस्पष्ट/कूटरचित/भ्रामक पाये जाने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
  - 6.2. ANM (RBSK) पद हेतु अनुभव 10 अंक/15 अंक/20 अंक (जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक तथा गैर मितानिन अभ्यर्थियों एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को 15 अंक एवं अन्य को 10 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक/03 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे। नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा। उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2018 तक जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उतीर्ण हो चुकी मितानिनों के लिए ही लागू होगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।
  - 6.3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र/एफ1-67/2021/सत्रह / एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12. 2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदों के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे एवं नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - 6.4. अनुभव के अंको की गणना हेतु केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा शासन के वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य अवधि का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है जिसमें कार्यालयीन जावक क्रमांक दिनांक भी दर्ज होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन ऑनलाइन किए जाने की अंतिम तिथि के बाद जारी नहीं होना चाहिए। साथ ही, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ नियुक्ति आदेश की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है; केवल अनुभव प्रमाण पत्र अथवा केवल नियुक्ति आदेश को अपलोड किये जाने पर अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अस्पष्ट/अपूर्ण/कूटरचित नियुक्ति आदेश स्वीकार्य नहीं होगा।
  - 6.5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जारी अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा एवं अन्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव ही मान्य होगा।
  - 6.6. अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग एवं त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य किया जा सकेगा।
  - 6.7. यदि आवेदक एक से अधिक कार्यालयों/जिलों में कार्य करने संबंधी एक से अधिक अनुभव की जानकारी का उल्लेख करते हैं तब जानकारी अनुसार प्रत्येक कार्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश निर्धारित स्थान में एक पीडीएफ बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अनुभव की जानकारी के अनुसार दस्तावेज नहीं पाये जाने पर अनुभव मान्य नहीं किए जा सकेंगे।
  - 6.8. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यानुभव को मान्य नहीं किया जायेगा।
  - 6.9. यदि कोई आवेदक वर्तमान में किसी विभाग / कार्यालय में कार्यरत है, तो उसे निर्धारित स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ऑनलाइन आवेदन किये जाने के अंतिम तिथि के बाद का मान्य नहीं होगा।
  - 6.10. निर्धारित स्थान पर अनुभव की जानकारी की एंट्री नहीं होने पर तथा अनुभव संबंधित दस्तावेजों के अपलोड नहीं किए जाने पर अनुभव को मान्य नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
  - 6.11. प्रशिक्षण, इंटरशिप एवं निःशुल्क सेवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर अनुभव को मान्य नहीं किया जावेगा।
  - 6.12. यदि किसी आवेदक के प्रमाण पत्र में अंकों का विवरण CGPA के आधार पर है, तब आवेदक इसकी गणना प्रतिशत में कर, प्रतिशत को पूर्णांक एवं प्राप्तांक में बदलकर इसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को उसके किसी भी शैक्षणिक अंकसूची में CGPA 8.0 प्राप्त हुए हैं और यदि उसकी प्रतिशत में गणना करने के बाद 76% अंक प्राप्त हो रहा है, तब आवेदक पूर्णांक 100 एवं प्राप्तांक 76 प्रविष्टि करें ताकि प्रतिशत की गणना करने पर 76% प्रदर्शित हो सके।

6.13. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है उनको ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था/विद्यालय से संस्था प्रमुख द्वारा जारी अंकसूची/गणना पत्रक / चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न नहीं किये जाने कि स्थिति में निम्नानुसार सूची से न्यूनतम अंक के आधार पर गणना किया जावेगा। आवेदक निर्धारित स्थान पर अंक सूची की मूल प्रति एवं ग्रेडिंग गणना पत्रक / चार्ट की सत्यापित प्रति को एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे। ग्रेडिंग पद्धति में अंक सूची के साथ गणना पत्र नहीं पाये जाने पर अंको का निर्धारण न्यूनतम अंक के आधार पर ही किया जाएगा, जिरा हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

क्र	ग्रेड	अंक
1	A+	91-100
2	A	81-90
3	B+	71-80
4	B	61-70
5	C+	51-60
6	C	41-50
7	D+	33-40
8	E	<33

6.14. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही पद पर विभिन्न कार्यलयों/जिलों में कार्य करने संबंधी एक से अधिक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों की अवधि का सत्यापन कर कुल अनुभव अवधि की गणना की जाएगी। किन्तु यदि अभ्यर्थी द्वारा भिन्न-भिन्न पदों/कार्य-प्रकृति से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जिस पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया है, केवल उसी पद से संबंधित अनुभव को ही मान्य करते हुए अनुभव अंको की गणना की जाएगी।

6.15. चयन समिति के निर्णयानुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कौशल / दक्षता/लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। उक्त मूल्यांकन हेतु अधिकतम 20 अंक निर्धारित रहेंगे। चयन समिति का निर्णय इस संबंध में अंतिम एवं मान्य होगा।

6.16. अभ्यर्थी को अनुभव एवं बोनस दोनों का अंक जोड़कर प्रदाय नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी अनुभव एवं बोनस दोनों हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में अनुभव में प्राप्त अंको तथा बोनस में प्राप्त अंको में से जो भी अधिकतम होगा, उसी अंक का लाभ अभ्यर्थी को प्राप्त होगा।

6.17. अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी-100 अंक

**A. कौशल / दक्षता/ लिखित परीक्षा, साक्षात्कार हेतु -**

शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत का वेटेज + अनुभव अंक/कोविड-19 बोनस अंक

**B. अंतिम चयन सूची :-**

शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत का वेटेज + अनुभव अंक/कोविड-19 बोनस अंक कौशल / दक्षता/लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्तांक

**7. प्रतीक्षा सूची :-**

उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयवधि में स्वीकृत नये पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

**8. दिशा निर्देश :-**

8.1. विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

8.2. केवल ऑनलाइन आवेदन कर देने मात्र से ही किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन का दावा मान्य नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र / प्रमाण या अन्य त्रुटि पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

8.3. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदक ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन में दिए गए समस्त निर्देशों तथा जानकारी का सावधानीपूर्वक अवलोकन करके ही सही एवं पूर्ण जानकारी की ऑनलाइन प्रविष्टि तथा दस्तावेजों को अपलोड करे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है

तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि. कूटरचना अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदन बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसे अभ्यर्थी को दावा आपत्ति का अवसर नहीं दिया जावेगा।

8.4. अभ्यर्थियों को कौशल / दक्षता/लिखित परीक्षा, साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंकों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा।

8.5. समान अंक या प्रतिशत प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरियता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

8.6. संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में 15 कार्य दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

8.7. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। उक्त तथ्य की पुष्टि का भार अभ्यर्थी पर होगा।

8.8. **संविदा मानदेय:-** संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा।

8.9. पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।

8.10. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

8.11. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

8.12. संविदा भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

8.13. संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।

8.14. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया / मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

8.15. केवल ऐसे अभ्यर्थी दिव्यांग आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो अभ्यर्थी दिव्यांग आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.16. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

8.17. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

8.18. उपरोक्त पदों में किसी भी पद पर विवाद एवं समस्या की स्थिति उत्पन्न होने पर उन पदों की भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाते हुए शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथावत् जारी रहेगी।

8.19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्र में किया जावेगा, भर्ती प्रक्रिया के आगामी किन्हीं भी चरण की जानकारी हेतु अभ्यर्थी जिले के वेबसाइट <https://jashpur.nic.in> के मेन्यू "नोटिस" के सब मेन्यू "भर्ती" विकल्प का समय-समय पर अनिवार्यतः अवलोकन करते रहें। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी प्रकार की जानकारी अभ्यर्थी को पृथक से/ व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी। अतः वेबसाइट का लगातार अवलोकन किया जावे।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला - जशपुर (छ.ग.)

आर.ओ.171/जी-252607025/4